मामले में निर्देश
। अटार्नी जनरल
ने पीठ से कहा
तोड़फोड़ और दंगे
मामले में क्षेत्र के
जैसे प्राधिकारियों
र्धारित की जानी

कहा कि फिल्म 'पद्मावत' जब प्रदर्शित होने वाली थी तो एक समूह ने खुलेआम प्रमुख अभिनेत्री की नाक काटने की धमकी दे डाली लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुयी।' इस पर पीठ ने वेणुगोपाल से कहा, ''तो से निबटने के लिये कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है और अदालतों को उसे उपयुक्त कानून में बदलाव की अनुमति देनी चाहिए। इस पर, पीठ ने टिप्पणी की, ''हम संशोधन का इंतजार नहीं करेंगे। यह गंभीर स्थिति है और यह होने की स्थिति में इसके लिये आयोजक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। पीठ ने जवाबदेही निर्धारित करने के लिये ऐसे विरोध प्रदर्शनों की वीडियोग्राफी करने का भी आदेश दिया था।

– पीटीआई

साल में दो बार नीट परीक्षा कराने पर पुनर्विचार कर सकती है सरकार

नयी दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय की सिफारिशों के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट साल में दो बार कराने से जुड़े अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) साल में दो बार कराने को लेकर चिंता जतायी थी क्योंकि इससे छात्रों पर और दबाव पड़ सकता है। मंत्रालय ने यह भी चिंता जतायी थी कि केवल ऑनलाइन परीक्षा लेने पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छात्र प्रभावित हो सकते हैं। सूत्र ने कहा, हालांकि इस संबंध में अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। – पीटीआई

मुंबई में ...पत्ति 3.51 ... में खरीदी

एक ट्रस्ट ने
ड डॉन दाऊद
संपत्ति नीलामी
पये की खरीदी
अपलिफ्टमेंट
) ने दक्षिण
बाजार में स्थित
लामी में 3.51
रीदी। ट्रस्ट के
आज यह
चार मंजिला
की नीलामी
लय ने तस्कर
विनिमय
पत्ति जब्तगी)
कराई। संपत्ति
रुपये आरक्षित
था और इसके
बोलियां लगाईं।
लावा दिल्ली के
पेंद्र भारद्वाज
दूसरे पक्ष थे।
– पीटीआई

सरकार सीएसआर पहल के सूक्ष्म प्रबंधन और अनावश्यक हस्तक्षेप को इच्छुक नहीं

नयी दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत विभिन्न कंपनियों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि की निगरानी करना हमारा दायित्व है लेकिन हम इसका सूक्ष्म प्रबंधन (माइक्रो मैनेजमेंट) नहीं करना चाहते हैं और सभी कंपनियों को इसे खर्च करने की स्वायत्ता दी जानी चाहिए। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि जब सीएसआर का विषय होता है तो यह देश के नागरिक के लिए होता हैं। समाज और गरीबों के लिए पूरा खर्च किया जाता है।

उन्होंने कहा कि अगर कोई सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम संबद्ध कंपनी के किसी कर्मचारी या परिवार को फायदा पहुंचाता है तो वह सीएसआर के दायरे में नहीं आएगा। इसके तहत राशि पिछड़े क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में खर्च किया जाना बेहतर होगा। इसे कहां खर्च करना है कहां नहीं, इस बारे में सरकार का हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। गोयल ने कहा कि सीएसआर के तहत राशि खर्च करने के बारे में फैसला कंपनी का निदेशक मंडल और कमेटी करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा यह है कि इसके तहत पैसा अच्छी तरह से खर्च हो और उसकी जवाबदेही भी तय हो। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वह अपने सांसद निधि से राशि आकांक्षी जिलों के लिए दें। उन्होंने स्वच्छ भारत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष और स्वच्छ गंगा कोष में सीएसआर के तहत दी जाने वाली राशि के बारे में एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि इन कोष का उपयोग पूरे देश के लिए किया जाता है। यह किसी खास क्षेत्र से संबद्ध नहीं होता है। सरकार सीएसआर का सूक्ष्म प्रबंधन करने को इच्छुक नहीं है। हम कुल खर्च की गई राशि की सिर्फ निगरानी कर सकते हैं। किन परियोजनाओं पर दो फीसदी सीएसआर खर्च करना है वह कंपनियों के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। यदि कंपनी खर्च नहीं कर रही है तो आप कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ''मेरा मानना है कि सीएसआर दिल से होता है। कानून और सरकारों के जरिए इसे नहीं कराया जा सकता है।'' मंत्री ने बताया कि जब कभी सीएसआर के प्रावधानों का उल्लंघन होने का मामला सामने आता है तब रजिस्ट्रार आफ कंपनीज (आरओसी) छानबीन के बाद इस तरह की कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करता है। वित्त वर्ष 2014-15 में 254 कंपनियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी गई उन्होंने लिखित उत्तर में बताया कि मंत्रालय ने अप्रैल 2018 में वर्ष 2015-16 से सीएसआर के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रायोगिक आधार पर केंद्रीकृत जांच और अभियोजन तंत्र की स्थापना की है। जांच के आधार पर 272 कंपनियों को प्रारंभिक नोटिस जारी किया गया है। – पीटीआई

अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार सूचकांक

Name	Last Trade	Change (%)
Nikkei 225	22,298.08	-1.35
Straits Times	3,284.78	-1.28
Hang Seng	28,366.62	-0.85
Taiwan Weighted	10,983.68	-0.4
Jakarta Composite	6,077.17	0.2
Shanghai Composite	2,795.44	0.04
Dow Jones	-	-
Nasdaq	-	-
S&P	-	-
DAX*	12479.70	- 1.55
CAC 40*	5439.49	- 1.14
FTSE 100*	7690.34	- 0.66

(*यह आंकड़े शाम 06:00 बजे तक के हैं)

...क निगरानी कार्यालय के कोष का ...योग नहीं करने को लेकर खिंचाई

...द की एक समिति ने कोष
...होने तथा खाली पड़े पदों पर
...नियुक्ति नहीं कर पाने को
...ग के विकास निगरानी और
...लिय (डीएमईओ) की

...और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एम
...की अध्यक्षता वाली वित्त
...की स्थायी समिति ने संसद
...में कहा कि डीएमईओ का
...8 में 20% बढ़ा। रिपोर्ट के
...जनवरी 2018 तक केवल
...ये का उपयोग किया गया
...अनुमान 15 करोड़ रुपये था।
...ार यह निराशाजनक है कि
...में बजटीय आबंटन का पूर्ण

उपयोग नहीं होने को लेकर बार-बार जतायी गयी चिंता के बावजूद डीएमईओ तथा नीति की तरफ से उपयुक्त तरीके से काम नहीं किया गया। इससे पहले, समिति ने कहा था कि डीईएमओ में पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए और उसे उपयुक्त गति से काम करने चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार, ''कोष का पूरा उपयोग नहीं करना और डीएमईओ का कर्मचरियों की नियुक्ति करने में असमर्थ रहना आदत सी बन गयी है और इसके लिये बार-बार एक ही कारणों को दोहराया जाता है। डीएमईओ का गठन सितंबर 2015 में नीति आयोग के संबद्ध कार्यालय के रूप में किया गया और उसे सरकार के 2017-18 के लिये 'उत्पादन परिणाम बजट' के क्रियान्वयन की निगरानी का जिम्मा मिला हुआ है। – पीटीआई

श्री कल्याण होल्डिंग्स लिमिटेड

CIN: L67120RJ1993PLC061489

पंजीकृत कार्यालय : बी-19, लाल बहादुर नगर, मालवीय नगर, जयपुर-302017 (राजस्थान), फोन व फैक्स: 0141-2554270, 0141-4034062

वेबसाईट: www.shrikalyan.com, ई-मेल: shrikalyan25@hotmail.com

30 जून 2018 को समाप्त तिमाही के लिए गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार (रु. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त वार्षिक वर्ष
		30.06.2018	30.06.2017	31.03.2018
		गैर अंकेक्षित	गैर अंकेक्षित	अंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	179.03	222.61	926.09
2.	कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/ या असाधारण वस्तुओं से पहले)	20.83	32.14	124.41
3.	कर के पहले शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद)	20.83	32.14	124.41
4.	कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/ या असाधारण वस्तुओं के बाद)	20.83	32.14	127.68
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) के लिए लाभ/हानि	20.83	32.14	127.68
6.	समता अंश पूंजी	997.45	997.45	997.45
7.	रिजर्व (पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पूनर्मूल्यांकन रिजर्व के अतिरिक्त)	-	-	-137.99
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का)			
	मूल	0.21	0.32	1.28
	तरल	0.21	0.32	1.28

टिप्पणी : (अ) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता एवं डिस्क्लोजर आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट www.shrikalyan.com पर उपलब्ध है। (ब) 30 जून को समाप्त हुए तिमाही उपर्युक्त अवांछित वित्तीय परिणाम की समीक्षा एवं सिफारिश लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई एवं 10 अगस्त, 2018 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

वास्ते श्री कल्याण होल्डिंग्स लिमिटेड
हस्ता./-
राजेन्द्र कुमार जैन
अध्यक्ष सह पूर्णकालिक निदेशक (DIN:00168151)

दिनांक : 10 अगस्त 2018
स्थान : जयपुर